56

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

I/निगरानी/जबलपुर/भू.रा/2017/6061

पुनरीक्षण प्र.क्रं. सन् 2017

आवेदकगण — 1— गोविंद प्रसाद हल्दकार आत्मज गुलाब प्रसाद हल्दकार निवासी 4901 जवाहर नगर अधारताल जबलपुर

2— श्रीमती अनीता साहू पति श्री गोविन्द प्रसाद साहू निवासी 1931 कंचनपुर अधारताल जबलपुर

दि. 11.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-1-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 11-12-17

बनाम

अनावेदकगण — 1— श्रीमती शांति बाई पति स्व. मोहनलाल पटेल निवासी 3365 चौधरी मोहल्ला गणेश चौक कंचनपुर जबलपुर

2— श्रीमती आभा तिवारी पति स्व. विजय तिवारी निवासी पुरानाक चनपुर तालाब के पास अधारताल, जबलपुर

3— श्रीमती अरूणा तिवारी पति रामबिहारी तिवारी निवासी शारदा मंदिर न्यू कंचनपुर अधारताल जबलपुर

11/12/17

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार रांझी अनुभाग, जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा रा.प्र.क. 09/अ–12 सन 2016–17 में गलत सीमांकन का दिनांक 16–10–2017 को अनुमोदन कर प्रकरण नस्ती किये जाने का आदेश दिये जाने से दुखी होकर आवेदकगण न्याय दान हेतु, पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :–

राजस्व मण्डल मंध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / जबलपुर / भूरा / 2017 / 6061

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
26-12-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रांझी अनुभाग जबलपुर जिला जबलपरी के प्रकरण कमांक 09 / अ-12 / 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16.10.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2-प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 31.8.17 को आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वतव की भूमि मौजा भड़पुरा न0 ब0 351 पटवारी हल्का कमांक 25 खसरा कमतांक 121, 131 / 1 रकवा 3200 वर्ग फुट सीमांकन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तहसीलदार रांझी जबलपुर द्वारा सीमांकन की प्रकिया पूर्ण कर दिनांक 16.10.17 को आदेश जारी किया गया इससे दुखित होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3-आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.10.17 की आदेश पत्रिका में लेख किया गया है **कि रीड़र द्वारा मोवाइल पर सूचित किया गया लेकिन**	

मोबाइल स्विज ऑफ पाया गया। आवेदक की आपत्ति में लेख किया गया था कि उसके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 7.6.16 के माध्यम से ग्राम भडपुरा के खसरा कमांक 131/5 का 2736 वर्गफीट एवं अन्य का लेख किया गया था जो तहसीलदार द्वारा आपत्ति मान्य नहीं की तथा उनके द्वारा निरस्त कर दी गई। "यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के निर्देश के पालन में दिनांक 16–10–17 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों को सूचना नहीं दी है तथा मोबाइल सूचना का उल्लेख किया है जिसमें मोबाइल स्विच आफ बताया गया है इससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना नहीं हुई है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है–

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।"

इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – "सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं –

"म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।"

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी क़ास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,
2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों / हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए

अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना, यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– " भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमाएं समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका

विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ-साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

4-उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि दिनांक 16-10-17 को सीमांकन करने के उपरांत बिना किसी को सूचना दिये एवं सभी सरहदी कास्तकारों को पृथक से सूचना नहीं दी गई है। पंचनामा पर सभी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर हैं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः तहसीलदार रांझी जबलपुर का सीमांकन आदेश दिनांक 16-10-17 निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को पूर्व सूचना देने के उपरांत तथा धारा 129 का पालन करते हुये विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण तहसीलदार रांझी जबलपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

सदस्य